THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) One.

(b) No, Sir.

मध्य प्रदेश में सिंचित कृषि भूमि

7544. **श्री राघवजी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्य सरकारों को समय-समय पर अनुदेश और दिशा-निर्देश जारी करती है जिनका सिंचित कृषि भूमि का औसत राष्ट्रीय औसत से कम है ताकि उनका औसत राष्ट्रीय औसत के समकक्ष हो जाएं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में सिंचित कृषि भूमि का औसत प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है, यदि हां, तो उसे सुधारने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1994-95 और पहले के दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के बजट में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया था और उसी अवधि में कितनी धनराशि खर्च की गई थी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू): (क) जिन राज्यों में सिंचाई के क्षेत्र में कम बजट का आबंटन किया है उन्हें सिंचाई के क्षेत्र में ज्यादा प्राथमिकता देने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए थे। योजना आयोग में होने वाली वार्षिक योजना की चर्चा के दौरान राज्यों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग में सुधार करने हेतु आवश्यक कदम उठायें। तथापि, जिन राज्यों को औसत सिंचित कृषि भूमि राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम है उन्हें कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किए गए।

(ख) मध्य प्रदेश में वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कृषि योग्य क्षेत्र में कुल निवल सिंचित क्षेत्र 20.3 प्रतिशत था जब कि औसत राष्ट्रीय प्रतिशत 26.5 था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट किया गया है। सिंचाई क्षमता बढ़ाने की नीति के मुख्य तत्वों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं (i) निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में प्राथमिकता (ii) वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में प्रयोक्ताओं की ज्यादा भागीदारी (iii) बहुत बड़ी संख्या में निर्माणाधीन सतही लघु जल सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करना (iv) सतही एवं भूजल का संयुक्त प्रयोग।

(ग) मध्य प्रदेश में पिछले तीन सालों के दौरान वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं एवं लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए सिंचाई विकास के लिए अनुमोदित परिव्यय एवं हुआ व्यय/संशोधित परिव्यय निम्न प्रकार है:

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	किया गया व्यय/ संशोधित परिव्यय
1992-93	505.56	440.58
1993-94	524.05	449.89
1994-95	509.30	345.33 (संशोधित परिव्यय)

Modernisation of irrigation Projects in Gujarat

7545.. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal for modernisation of some irrigation projects in Gujarat;

(b) if so, the details thereof;

(c) the steps taken by the Central Government in this regard;

(d) whether Government have provided any special assistance for this purpose; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) Out of the two proposals for modernisation of irrigation projects in Gujarat, proposal for modernisation of Machhu-I at an estimated cost of Rs. 6.01 crores was received in the Central Water Commission in February, 1991, the project after examination in the Central Water Commission has been found acceptable by the Advisory Committee .in August, 1993 at an estimated cost of Rs. 8.12 crores subject to environment

clearance and concurrence of State Finance Department. The proposal for restoration of Mitti irrigation project at an estimated cost of Rs. 14.51 crores was received in the Central Water Commission in June, 1993. The Central Water Commission has sought clarifications on techno-economic issues of the project.

(d) No, Sir,

(e) Does not arise.

सरदार सरोवर बांध का निर्माण

7546. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार और मध्य प्रदेश सरकार सरदार सरोवर बांध के निर्माण के संबंध में निनिर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस परियोजना को बंद कर देना चाहती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते।

Setting up Command Area Development Council

7547. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether his Ministry had advised different State Governments to set up a Command Area Development Council at State level and CAD Authority at the level of each Command;

(b) if so, the steps taken in that regard in the State of Orissa so far; and

(c) the work undertaken by the Command Area Development Council and CAD Authority of each Command to far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir. On the recommendation of the Advisory Committee for the Centrally sponsored CAD Programme, this Ministry has advised the concerned State Governments to constitute Command Area Development Council at State level and Command Area Development Boards at CAD Authority level.

(b) and (c) The proposal is still under consideration of the State Governments, including Government of Orissa.

Recommendation of Cadre Review Committee in CWES

7548. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Central Water Engineering Service (CWES) Group 'A' Cadre Review Committee recommended recently fifty percent quota for departmental promotees in the grade of Assistant Directors instead of the existing forty percent;

(b) whehter all other recommendations of the Committee were implemented except (a) above;

(c) if so, the reasons thereof;

(d) whether the rules are further being amended to decrease the quota of departmental promotee from fifty percent to 33 1/3 percent; and

(e) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) The Cadre Review Committee for the Central Water Engineering (Group 'A') Service in their report given on 25th September, 1991 made a number of recommendations which, *inter-alia*, include, reducing the direct recruitment quota at the Junior Time Scale level from existing 60 per cent to 50 per cent. The recommendations of the Cadre Review Committee have not been implemented fully due to financial constraints and administrative reasons.